

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
संख्या 01/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जनवरी, 2024

सा.का.नि.....(अ).-केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उप-धारा (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, धारा 39 की उप-धारा (1) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (1) के खंड (i) के तहत विवरणी प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके कारोबार का मूल स्थान तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली, तेनकासी, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और विरुधुनगर जिले में है, के लिए माह नवंबर, 2023 की प्ररूप जीएसटीआर 3-ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जनवरी, 2024 के दसवें दिन तक विस्तारित करते हैं।

(2) यह अधिसूचना 20 दिसंबर, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/1/2024-जीएसटी]

(राघवेंद्र पाल सिंह)
निदेशक